

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)  
टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dibrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई-1/डीएलबी/2024/२132

दिनांक: 14/03/2024

-:आदेश:-


राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री हेमन्त माहेश्वरी	सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	एपीओ निदेशालय	फतेहनगर सनवाड़
2.	श्री राकेश कुमार	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एपीओ निदेशालय	जालौर
3.	श्री तुलसीराम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एपीओ निदेशालय	हनुमानगढ़
4.	श्री सत्यनारायण स्वामी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	एपीओ निदेशालय	पीलीबंगा
5.	श्रीमती मन्जु चौधरी	सहायक अग्निशमन अधिकारी	एपीओ निदेशालय	वीकानेर
6.	श्री सुनील कुमार	स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय	एपीओ निदेशालय	टोंक
7.	श्री अरविन्द खन्ना	वरिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	संगरिया
8.	श्री नरेश ढांगी	वरिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	शिवगंज
9.	श्री यशोदानन्दन शर्मा	वरिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	अलवर
10.	श्री मुकेश गोचर	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	बारा
11.	श्री अशोक कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	वीकानेर
12.	श्री नरेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	नदबई
13.	श्री अनीश खण्डेलवाल	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	अलवर
14.	श्रीमती संतरा ढकरवाल	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	गंगापुर सिटी
15.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	नीमकाथाना
16.	श्री महेन्द्र सगडोलिया	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	टोंक

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।


नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यवस्था जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
06. कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
07. माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।

  
(सुरेश कुमार ओला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती .....।
8. सुरक्षित पत्रावली।

  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव